महत्वपूर्ण एवं खास

नाबालिग युवती ने बच्चो को दिया जन्म, आरोपी ने किया शादी से इंकार, जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। शादी का प्रलोभन देकर आरोपी युवक द्वारा नाबालिग युवती के साथ लगातार संबंध बनाकर उसे गर्भवती करना और फिर युवती द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद उसके साथ शादी करने से इंकार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर नेवरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस सूत्रों से आज मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कोटा नेवरा निवासी 17 वर्षीय एक युवती का गांव में रहने वाला महेन्द्र पाल पिता रामदास नामक युवक के साथ करीब पिछले करीब डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग था। इस दौरान आरोपी ने युवती को शादी करने का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। गर्भवती पीड़िता ने 24 मार्च 2020 को एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद युवती ने जब आरोपी को शादी करने के लिए कहा तो आरोपी ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई।

वाट्सप पर झूठी खबर प्रसारित, दो के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस के चलते राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जारी लॉकडाउन के दौरान वाट्सप पर झूठी खबर प्रसारित करने के मामले में शहर के अलग-अलग थाना पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। पहला मामला मौदहापारा थाना का है। आरोपी मोहन साहू नामक व्यक्ति ने वाट्सप पर फेक न्यूज प्रसारित किया है जिसमें उसने मोवा में कोरोना संक्रमित एक और मरीज मिलने की बात कही है। वहीं दूसरी घटना में खम्हारडीह थाना पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वाट्सप पर विजय नगर खम्हारडीह में स्थित शराब दुकान खुले होने की झूठी खबर प्रसारित की। पुलिस ने इन दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ धारा 188 के तहत जुर्म दर्ज किया है। ज्ञात हो कि जिला दण्डाधिकी रायपुर द्वारा आदेश जारी किया गया है कि सोशल मीडिया में किसी प्रकार की भ्रामक एवं झूठा संदेश प्रसारित नहीं किया जाए। ऐसे करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद सोशल मीडिया में कई लोगों द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए भ्रामक एवं झूठा संदेश प्रसारित कर रहे है। पुलिस ने अब इन मामलों में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।

स्वास्थ्य मंत्री एडवाइजरी के अनुरूप अंतर्राज्यीय प्रवास के बाद ऐहतियात बरतते हुए 14 दिनों के होम-क्वॉरेंटाइन में

रायपुर (आरएनएस)। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने 27 मार्च को मुंबई प्रवास से लौटने के बाद होम-क्वॉरेंटाइन में जाने से पहले रायपुर विमानतल पर सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। वे सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप अंतर्राज्यीय प्रवास के बाद ऐहतियात बरतते हुए 27 मार्च से 14 दिनों के होम-क्वॉरेंटाइन में चले गए हैं।

ज़रूरतमंद और निःशक्तजनों को प्रशासन पहुँचा रहा राशन

» बस्तर के ग्रामीण अंचलों में सोशल डिस्टेनसिंग के साथ जरूरतमंदो एवं निःशक्तजनों को दाल, चावल ओर सब्जी का वितरण

रायपुर (आरएनएस)। राज्यशासन के निर्देशानुसार बस्तर कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली के मार्गनिर्देशन में जिले के ग्राम पंचायतों में सरपंच, उपसरंपच, ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायक और मितानिन के द्वारा गाँव के जरूरतमंदो एवं निःशक्तजनों के लिए दाल, चावल, सब्जी आदि का वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न सामग्री के वितरण के समय ग्रामीणों के मध्य सामान्य दूरी बनाकर ही सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जिले के ग्राम पंचायत मांदर, बडाजी, मटनार, सुआचोंडा, ढोंढरेपाल, नेंगानार सहित अन्य ग्रामों में भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराकर लोगो को राहत पहुचाई जा रही है।

राज्यपाल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक महीने की वेतन देने की घोषणा की

रायपुर (आरएनएस)। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक महीने की वेतन देने की घोषणा की है। साथ में उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता के लिए लोगों को आगे आने की अपील की है।

लॉकडाउनः जरूरतमंदों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाने बनी फूड श्रृंखला

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 'कोराना वायरस के कारण बनी लॉकडाउन की स्थिति में किसी को भूखे पेट सोने नहीं देंगें'।

उनके इस निर्देशो को चरितार्थ करने जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन ने भिखारियों, बेसहारा, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूरों, मंदबुद्धि ,निराश्रित व रोजी-रोटी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे व्यक्तियों एवं परिवारों के लिए भोजन पहुंचाने बड़ा नेटवर्क तैयार कर शहर के हर छोर तक अपनी पहुंच बनाई गई है। सबसे बड़ी बात है की इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाएं, सेवाभावी संगठन और नागरिक भी सामने आकर मदद कर रहे है। इसके लिए रायपुर में

» बेसहारा, भिखारियो, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूरों, मंदबुद्धियों और रोजी-रोटी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे व्यक्तियों के लिए 'स्पेशल फूड सेल' की स्थापना

'स्पेशल फूड सेल' की स्थापना की गई है। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख, जिला पंचायत के सीईओ डॉ. गौरव कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार के निर्देशन में दिनांक 25 मार्च से यह कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। इस कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0771- 4055574 पर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार सीधे कॉल कर अपनी जरुरत से अवगत करा सकते हैं। इस दूरभाष पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन भी जरुरतमंद व्यक्तियों की जानकारी प्रदान कर भोजन सुविधा में सहायता कर रहे हैं। इस स्पेशल सेल और विभिन्न संगठनों व माध्यम से रायपुर में प्रतिदिन औसतन 8000 फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। लंबी दूरी के मालवाहकों के चालकों, श्रमिकों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन आदि क्षेत्रों में भी फूड पैकेट वितरित किए जा रहे हैं।

इस काम में नगर निगम की 70 सामाजिक संस्थाएं व उनके लगभग 2 हजार वालेंटियर्स मदद कर रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं अपने संसाधनों से कोरोना के रोकथाम के लिए सभी आवश्यक प्रबंध व सावधानी बरतते हुए भोजन तैयार कर इसका वितरण कर रही है । कंट्रोल रूम में जिला पंचायत, रोजगार विभाग के जिला अधिकारियों को तैनात किया गया है।

मुख्यमंत्री की पहल पर गेंहू की बिक्री करेगी एफसीआई

» व्यापारी और आटा मिल वाले निर्धारित दर पर कर सकेंगे उठाव

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर भारतीय खाद्य निगम गेंहू बिक्री करेगा। प्रदेश के व्यापारी और आटा मिल वाले निर्धारित दर पर इसका उठाव कर सकेंगे। इस पहल से लॉकडाउन की स्थिति में आम नागरिकों को गेंहू निर्धारित दर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

एफसीआई द्वारा प्रदेश में बिक्री के लिए सात हजार 250 मीटरिक टन गेंहू उपलब्ध कराया गया है। इस गेंहू की बिक्री के लिए प्रदेश के सात जिलों में गेंहू की कुल मात्रा और उसकी दर भी निर्धारित की गई है। एफसीआई द्वारा गेंहू की दर 2135 रूपए और इसमें परिवहन दर के साथ जिलेवार इसकी दर भी निर्धारित की गई है। रायपुर जिले के मंदिरहसौद में 900 मीटरिक टन गेंहू की मात्रा निर्धारित की गई है, यहां गेंहू की बिक्री 2393 रूपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इसी प्रकार बिलासपुर जिले के लिए 300 मीटरिक टन की मात्रा निर्धारित की गई है और यहां 2401 रूपए प्रति क्विंटल की दर से बिक्री होगी। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में 4000 मीटरिक टन गेंहू उपलब्ध कराया। इसी बिक्री 2368 रूपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। रायगढ़ जिले में 600 मीटरिक टन की मात्रा निर्धारित की गई है, यहां 2458 रूपए प्रति क्विंटल की दर से बिक्री की जाएगी। जांजगीर-चांपा जिले के नैला में उपलब्ध 150 मीटरिक टन गेंहू को 2425 रूपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा जाएगा।

डायल 112 ने मजदूरों को पहुंचाया राशन

रायपुर (आरएनएस)। डायल 112 कमाण्ड सेंटर रायपुर में कॉलर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जिला रायपुर थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत रावतपुरा फेस-2 में मजदूर लोगो के पास खाने के लिए राशन नही है। सूचना पर पुरानी बस्ती टाईगर एक को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

मौके पर पहुँची ईआरव्ही टीम ने कॉलर से सम्पर्क किया जिसने बताया कि उनके घर के बगल झोपड़ी में 5 लोग रहते है, जिनके पास खाने-पीने के लिए कुछ भी नही है। ईआरव्ही स्टाफ द्वारा झोपड़ी में जाकर देखा गया तो 3 तीन बच्चे तथा 2 महिलाएं थी जिन्होने सुबह से कुछ भी नही खाया था और उनके पास राशन भी नहीं था। उक्त परिवार को ईआरव्ही टीम द्वारा स्वयं के व्यय पर किराना स्टोर भाटागाँव से राशन खरीदकर प्रदान कर मानवता का परिचय दिया गया। अतः इस उत्कृष्ट कार्यवाही मैं ईआरव्ही पुरानी बस्ती टाईगर 1 में तैनात आरक्षक क्र. 2270 दिलीप बघेल एवं एबीपी चालक शुभम कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।

रायपुर रेल मंडल में ट्रेन के कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाएगा

रायपुर (आरएनएस)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में करोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए ट्रेन के 10 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाएगा मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया है।

रायपुर रेल मंडल में तैयारियां चल रही है ।कोरोनावायरस के संक्रमण से पीड़ित रोगियों की संख्या में वृद्धि होने पर इन कोचों का उपयोग किया जाएगा इसके लिए इन कोचों को पूर्णता सैनिटाइज करके मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाकर आइसोलेशन वार्ड मैं परिवर्तित किया जा रहा है रायपुर रेल मंडल आपात स्थिति में कोरोनावायरस से लड़ने के लिए सतर्क है।

जानकारी के अनुसार इन कोचों में आइसोलेशन बोर्ड के अनुरूप बदलाव किए जाएंगे जिसमे मुख्य रूप से दो शौचालयों को फर्श लगा कर स्नान कक्ष में बदला जाएगा उसमें स्नान कक्ष में हैंड शॉवर, एक बाल्टी और मग रखे जाएंगे। मिडल बर्थ को हटाया जायेगा, अलग-अलग पार्टीशंस बनाए जाएंगे। 04 नग बोटल होल्डर्स लगाए जाएंगे। चिकित्सा उपकरणों के लिए प्रत्येक डिब्बे में 220 वोल्ट विधुत का प्रावधान, बाहर के लिए 415 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है।प्रत्येक डिब्बे में एयर प्लास्टिक के पर्दे का प्रावधान। प्रत्येक कोच में 10 आइसोलेशन वार्ड रहेंगे। कार्य के निष्पादन से पहले और बाद में काचों को सेनिटाइज किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष में अब यूपीआई और बार कोड के जरिए दान कर सकते हैं

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि वो इस संकट की घड़ी में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों और जरूरतमंदों की आगे आकर मदद करें। इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में आवश्यक सहयोग राशि प्रदान की जा सकती है। सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, 0004286 पर यह सहयोग राशि जमा की जा सकती है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सब्जियों के दाम हुए आधे

» मुख्यमंत्री ने सब्जियों, फल और आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक के दिए थे निर्देश

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के तत्काल बाद ही सभी सब्जियों के दाम लगभग आधे हो गए है। कल जहां भिंडी, भटा, गोभी और टमाटर के दाम 40 रूपए के करीब थे आज वो सीधे आधे 20 रूपए किलो हो गए है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल जनता के नाम प्रेषित अपने संदेश में कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लॉक डाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए थे। श्री बघेल ने लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न रहे इसके के सभी जिला प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। जिसका सीधा लाभ आज जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि उनके ध्यान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर लॉक डाउन के संकट का लाभ उठाकर कुछ व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं और कुछ लोग कालाबाजारी में लग गये है। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। व्यापारी भाईयों से निवेदन है कि वे अनुचित लाभ न उठाएं और सेवा भाव से लोगों को दैनंदिनी आवश्यकता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करें। हम किसी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होने देंगे। कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि कालाबाजारियों से कड़ाई से निपटें और आम जनता को सही दामों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

राज्य की हर ग्राम पंचायत में जरूरतमंद लोगों के लिए रखा जाए दो क्विंटल चावल- भूपेश बघेल

» मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से तीन घंटे मैराथन बैठक लेकर की कोरोना से बचाव के उपायों की समीक्षा

» पीडीएस के तहत को दो माह के मुक्त राशन का वितरण प्रारंभ करने के निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान सभी गांवों में जरूरतमंद लोगों के लिए दो-दो क्विंटल चावल रखने के निर्देश दिए है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने पीडीएस के तहत को दो माह के मुक्त राशन का वितरण प्रारंभ करने, दूध, सब्जी की दुकानों के साथ अनाज मंडी और पेट्रोल पंप जैसे पहले खुले रहते थे, वैसे ही खुले रखने के निर्देश दिए। श्री बघेल आज यहां अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा कर रहे थे। तीन घंटे तक चली इस मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्रीगण, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर, आई.जी., जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के कमिश्नर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले श्रमिकों को राज्य की सीमा पर सुविधाजनक स्थान जैसे स्कूल, आश्रम, हॉस्टल आदि स्थानों में ठहरने की व्यवस्था करें। वहीं पर उनके भोजन आदि की व्यवस्था की जाए और उन्हें राज्य के अंदर नहीं आने दिया जाए।

किसानों को उर्वरक एवं बीज के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे दुकान

रायपुर (आरएनएस)। जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु दवा एवं दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्रियों से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी गई है। जिले में विभिन्न फसलों हेतु उर्वरक एवं बीज की समय-समय पर आवश्यकता संभावित है । चूंकि उर्वरक एवं बीज व्यवसाय क्रमशःआवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित उर्वरक(नियंत्रण) आदेश 1985 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 से परिचालित होते है। इस प्रकार ये दोनो कृषि आदान आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आते है। कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इनसे संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को परिचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठान में एक समय में एक ही कृषक की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सीनियर एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल निवासी पर शासन विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

राज्यपाल ने मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक

» राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों की ली जानकारी

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर समीक्षा बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल, राज्यपाल एवं श्रम विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा, चिकित्सा विभाग की सचिव निहारिका बारिक, खाद्य विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह उपस्थित थे।

राज्यपाल ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए गए समस्त एहतियाती कदम की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए किये जा रहे कार्य

संतोषजनक है, मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कर्मठता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सा उपकरणों, मास्क तथा अन्य संसाधनों की आवश्यकता होने पर मुझे जानकारी दें मैं स्वयं इसके लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति से भी चर्चा करने की पहल करूंगी। अभी कोरोना वायरस से बचाव के लिए निर्णायक लड़ाई बाकी है, इसके लिए हम सबको टीम भावना के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का गंभीरता से पालन कराएं और लोगों को जागरूक करें, परन्तु यह ध्यान रखें कि जो भी प्रवासी नागरिक-तीर्थ यात्री जो हमारे राज्य में बाहर से आए हैं, उनके रहने-खाने और स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करें। साथ ही हमारे राज्य के नागरिक भी दूसरे प्रदेशों में किसी कारणवश फंसे हुए हैं।